Indore Institute of Pharmacy

2.2 Number of **seats earmarked** for reserved category as per GOI/ State Govt. rule during the year

Breakup of Total Seats Earmarked for Reserved Category.

Program Name	Allotted Seats (Excluding super numeric)	Allotted seats (Including Super Numeric)	Percentage Earmarked for 'SC' Category	Percentage Earmarked for 'ST' Category	Percentage Earmarked for 'OBC' Category	Total Seats Earmarked for Reserved Category	UR	Seats Earmarked for EWS Category	Seats Earmarked for TFW Category	Total with super numeric
			16%	20%	14%			10%	5%	
B.Pharm	100	115	16	20	14	50	50	10	5	115
D.Pharm	60	69	10	12	8	30	30	6	3	69
M.Pharm (Pharmaceutics)	15	NA	2	3	2	7	8	NA	NA	15
M.Pharm (Quality Assurance)	15	NA	2	3	2	7	8	NA	NA	15
B.Pharm (Lateral Entry)	10	NA	2	2	1	5	5	NA	NA	10
Total						99	101	200	16	8

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

Admission
B.1

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग

फार्मेसी (बी.फार्मेसी / डी.फार्मेसी)
पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम
सत्र 2022-23

1	शासकीय (Govt.) क्षेत्र के लिये (अ) शासकीय, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) फार्मेसी संस्थाओं में बी.फार्मेसी/ डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 2-19
2	निजी (Private) क्षेत्र के लिये (अ) निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं में बी.फार्मेसी/ डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 20-36
3	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 37-50
4	संस्थावार उपलब्ध सीटों की संख्या (बी.फार्मेसी/ डी.फार्मेसी)	पृष्ठ 51-57

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

INDORE INSTITUTE OF PHARMACY IQAC INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2022-23 के प्रवेश नियम

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में बी.फार्मा. एवं डी.फार्मा. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम :-

2.1 <u>संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-</u>

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **प्रवेश नियम**, 2008 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त है एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू है ।

2.2 <u>परिभाषाएं :-</u>

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) ;

(ख) **"समुचित प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;

(ग) **"प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति"** से अभिप्रेत है,व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार व्दारा गठित समिति;

(घ) "PCI" से अभिप्रेत है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली;

(ड.) **"उपाबंध"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(च) **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(च-1) **"पाठ्यक्रम"** से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से

IQAC
INDORE INSTITUTE OF PHARMACY
INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता है (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, आदि)

(छ) **"फीस"** से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

(ज) **"अनिवासी भारतीय"** का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है;

(झ) **"प्राचार्य"**से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;

(ञ) **"सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था"** से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;

(ट) **"व्यावसायिक शिक्षण संस्था"** से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं.3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;

(ठ) **"अर्हकारी परीक्षा"** से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;

(ड) **"एकल खिड़की प्रणाली"** से अभिप्रेत हैं, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;

(ढ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

INDORE INSTITUTE OF PHARMACY IQAC INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

3

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार हैं:-

1. "सी.टी.ई." से अभिप्रेत है कमिश्नर टेक्नीकल एजूकेशन, मध्यप्रदेश;
2. "रा.गां.प्रौ.वि." से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल;
3. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;

4. मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(EWS)** हेतु आरक्षण:-
मध्यप्रदेश में स्थित निजी तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./ एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार फार्मेसी Act 1948 u/s 12 के अंतर्गत अनुमोदित केवल ऐसी संस्थाओं में ही स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे।

5. "**शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों**" से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, द्वारा फार्मेसी Act 1948 u/s 12 के अंतर्गत अनुमोदित केवल ऐसी संस्थाओं में ही स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (**Supernumerary**) उपलब्ध रहेंगे। इन सीटों पर प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी अभ्यर्थियों को, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 8.00 (आठ) लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए, दिया जावेगा।

6. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे हैं वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई

IQAC
INDORE INSTITUTE OF PHARMACY
INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान । प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगें। **अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल-निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल-निवासियों के साथ-साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।**

2.3. लागू होना:-

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, द्वारा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा बी.फार्मा, डी.फार्मा, संचालित कर रही हों।

2.4. प्रवेश नियम :-

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

2.4.1 स्थानों की उपलब्धता -

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है:-

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाएँ	अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नही की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत।
	ब) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अनुमोदन प्राप्त कर

IQAC INDORE INSTITUTE OF PHARMACY INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

	लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये अपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे)
	स) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।

नोट :-

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट https//dte.mponline.gov.in. पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में नवीन ब्रांच या विद्यमान ब्रांच की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन की जाने की अनुज्ञा उस वर्ष समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।

(ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, (PCI) नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

INDORE INSTITUTE OF PHARMACY IQAC INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy
INDORE (M.P.)

6

2.4.2 <u>स्थानों का आवंटन/ आरक्षण -</u>

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85, 95, 100 प्रतिशत स्थानों में से जो लागू हो) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

<u>टिप्पणी :-</u>

(1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) **मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी:-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित <u>प्रारुप-1</u> में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)।

(ख) **मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी:-** ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस प्रवेश नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित **प्रारुप-2** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम

IQAC INDORE INSTITUTE OF PHARMACY INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2019** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र **प्रारुप-10** में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)।

(ग) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित की सीटें (J & K Migrants Seats): हेतु बी.फार्मा/ डी.फार्मा के पाठ्यक्रमों में स्थानों का आरक्षण:**

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक संस्था में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/ पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारुप-7 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो को भी उल्लेखित आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित **प्रारुप-8** में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(घ) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J & K Residents Seats)**

प्रत्येक संस्था में सामान्य पूल की सीटों में से एक-एक सीट जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित की गई हैं

IQAC INDORE INSTITUTE OF PHARMACY INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

8

(ङ) **मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु आरक्षण:-**

मध्यप्रदेश में स्थित निजी तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण फार्मेसी संस्थाओं मे प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./ एक, भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार फार्मेसी Act 1948 u/s 12 के अंतर्गत स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यार्थियों हेतु उपलब्ध होगें तथा केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण-पत्र उपलब्ध होगा, को प्रवेश दिया जावेगा।

ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित **प्रारूप-11** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(च) **शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tuition Fee Waiver Scheme)**

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार फार्मेसी Act 1948 u/s 12 के अंतर्गत अनुमोदित फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली केवल ऐसी संस्थायें जिसमें गत वर्ष न्यूनतम् 30 प्रतिशत प्रवेश हुये हों, ऐसी समस्त संस्थाओं में शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। जिसके अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख रुपये से अधिक न हो, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क

IQAC INDORE INSTITUTE OF PHARMACY INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

अभ्यर्थियों व्दारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएँगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों पर प्रवेश के लिए केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) की जावेगी। प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। **इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।**

(छ) **एन.आर.आई. (NRI) सीटें :-**

समस्त संस्थाओं मे जिनमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

1) **जो भारत का नागरिक हो**
2) **शैक्षणिक अर्हता**

(अ) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार **बी.फार्मेसी** पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

Candidate shall have passed 10+2 examination conducted by the respective state/central government authorities recognized as equivalent to 10+2 examination by the Association of Indian Universities (AIU) with English as one of the subjects and Physics, Chemistry, Mathematics (P.C.M.) and or Biology (P.C.B./P.C.M.B.) as optional subjects individually. Any

IQAC INDORE INSTITUTE OF PHARMACY INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

(10)

other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to any of the above examinations.

(ब) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार **डिप्लोमा फार्मेसी** पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

A pass in 10+2 examination (science academic stream) with Physics, Chemistry and Biology or Mathematics.

Or

Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to the above examination.

नोट:-

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी
2. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।

3) **मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें**
(M.P. Domicile Requirements)

बी.फार्मा/ डी.फार्मा की सामान्य पूल की सीटों जिन पर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी:-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/ तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र <u>प्रारूप-6</u> अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र <u>प्रारूप-6 (अ)</u> में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

IQAC INDORE INSTITUTE OF PHARMACY INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

For B.Pharm/D.Pharm

Reservation for Economical weaker section (EWS) candidates of Madhya Pradesh

As per the Government of Madhya Pradesh GAD letter no. F-7-11/2019/1, Bhopal, dated 02nd July 2019, and as per Pharmacy Council of India, Pharmacy act 1948 u/s 12, ten percent seats of approved intake will be available for economically weaker section (EWS) candidates of Madhya Pradesh.

Tuition fee waiver scheme seats mean as per Pharmacy Council of India, Pharmacy act 1948 u/s 12, for the approved intake in the institution, 5% seats are available supernumerary. These seats will be available for Madhya Pradesh domicile candidates whose family annual income from all sources should not be more than 8 lac (Rupees eight lac only)

Allocation/reservation of seats-

In every institution, 16%, 20%, and 14% seats of sanctioned intake shall be reserved for the candidates belonging to SC, ST, and OBC (excluding creamy layer) categories respectively as notified by the state government in this regard.

INDORE INSTITUTE OF PHARMACY • INDORE • IQAC

Principal
Indore Institute of Pharmacy
INDORE (M.P.)

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH

TENTATIVE SEATS IN B. PHARMACY COURSE FOR THE SESSION 2022-23

S.NO.	Institite Name	Intake
	Government Aided	
1	Shri G.S. Institute of Technology & Science, Indore (M.P.)	60
	University Owned	
1	Department of Pharmacy, Bharkatullah University, Bhopal	60
2	School of Studies in Pharmaceutical Sciences, Jiwaji University, Gwalior	100
	Private	
1	Acropolis Institute of Pharmaceutical Education and Research, Indore	100
2	ADINA COLLEGE OF PHARMACY, SAGAR	100
3	Adina Institute of Pharmaceutical Sciences, Sagar	100
4	ADITYA COLLEGE OF PHARMACY, SATNA	100
5	AKHIL BHARTI COLLEGE OF PHARMACY, BHOPAL	100
6	ANSH COLLEGE OF PHARMACY, GWALIOR	60
7	AWADHMADHAV COLLEGE OF PHARMACY, GWALIOR	60
8	B.R.COLLEGE, BANMORE, MORENA	60
9	Baba Loknath Institute of Pharmacy Science and Research Centre, Sagar	60
10	BABULAL TARABAI INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE, SAGAR	100
11	Bansal College of Pharmacy, Bhopal	100
12	Bhagyoday Tirth Pharmacy College, Sagar	100
13	Bhopal Institute of Technology & Science - Pharmacy Bangrasiya, Bhopal	100
14	BM College of Pharmaceutical Education and Research, Indore	100
15	BVM College of Pharmacy, Gwalior	60
16	Chameli Devi Institute of Pharmacy, Indore	100
17	Charak Institute of Pharmacy, Khargone	100
18	Chordia Institute of Pharmacy, Indore	60
19	COMPFEEDERS AISECT COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES PHARMACY COLLEGE, INDORE	100
20	CORPORATE INSTITUTE OF PHARMACY, BHOPAL	100
21	Daksh Institute of Pharmaceutical Science, Chhatarpur	100
22	DIVINE INTERNATIONAL GROUP OF INSTITUTIONS, GWALIOR	60
23	Dr. Shri RMS Institute of Science and Technology, College of Pharmacy, Mandsaur	60
24	Globus College of Pharmacy, Bhopal	100
25	GRACIOUS COLLEGE OF PHARMACY, BALAGHAT	100
26	GRY Institute of Pharmacy (Borawan), Khargone	100
27	GULAB KALI MEMORIAL COLLEGE OF PHARAMACY, REWA	60
28	GURU RAMDAS KHALSA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, JABALPUR	100
29	Gurukul Institute of Pharmaceutical Science & Research, Gwalior	60
30	GYAN GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES, JABALPUR	100
31	GYANODAYA INSTITUTE OF PHARAMACY, NEEMUCH	100
32	INDIRA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES, BHOPAL	60
33	Indore Institute of Pharmacy, Indore	100
34	INDORE MAHAVIDYALAYA, INDORE	100

INDORE INSTITUTE OF PHARMACY IQAC

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

Rul

Rules for Admission to M.E./M.Tech. and M.Pharmacy Courses in Private Institution in M.P.

Session 2022-23

RULES FOR ADMISSION TO MASTER OF ENGINEERING (M.E.), MASTER OF TECHNOLOGY (M.Tech.) & MASTER IN PHARMACY (M.Pharmacy) COURSES IN A.I.C.T.E./ P.C.I APPROVED UNAIDED PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF MADHYA PRADESH AS PER THE PROVISIONS MADE IN MADHYA PRADESH NIJI VYAVASAYIK SHIKSHAN SANSTHA (PRAVESH KA VINIYAMAN AVAM SHULK KA NIRDHARAN) ADHINIYAM, 2007 (NO. 21 of 2007) AND THE ADMISSION RULES-2008 MADE THEREIN (AS AMENDED).

2.1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called Admission Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2.2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires –

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007);

(b) "Appropriate Authority" means Authority as defined in clause (a) of section 3 of the Act;

(c) "Admissions and Fee Regulatory Committee" means the Committee constituted by the State Government under the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a professional educational institution;

(d) "AICTE" means All India Council of Technical Education, statutory body established by All India Council of Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);

(e) 'PCI' means Pharmacy council of India.

(f) "Course" means any course, the nomenclature of which is approved by the appropriate authority and for which a separate degree/diploma is awarded by any recognized University or Board or Institution (like B.E. Electrical, B.E. Mechanical, M.Tech./ME in Electrical/Mechanical etc.).

(g) "Competent Authority" means any authority as authorized by the State Government in this behalf.

INDORE INSTITUTE OF PHARMACY IQAC INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

14

(h) "Fee" means all fees including tuition fee and development charges;

(i) "Principal" means Head of institution;

(j) "Private Unaided Professional educational Institution" means professional educational institutions which is not receiving recurring financial aid or grant-in-aid from any State or Central Government and which is not established or maintained by the Central Government, the State Government or any Public body;

(k) "Professional Educational Institution" means a college or a school or an institute by whatever name called, imparting professional education, affiliated to state university including a private university established or incorporated by an Act of the State Legislature or Constituent unit of a deemed to be university under section 3 of University Grant Commission Act, 1956 (3 of 1956), and approved or recognized by the competent statutory body regulating professional education;

(l) "Qualifying Examination" means the examination of the minimum qualification, passing of which entitles one to seek admission into the relevant Professional Courses as prescribed in these rules;

(m) "Single Window System" means a system by which available seats in all the institutions are offered through Common Centralized Counselling or Decentralized Online Counselling to qualified candidates in the order of merit in the Common Entrance Test;

(n) "**Reservation for Economical weaker section (EWS) candidates of Madhya Pradesh**" means As per the Government of Madhya Pradesh GAD Letter No. एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, Dated 02 july 2019, Ten Persent (10 %) Seats of approved intake will be available for admission in Masters of Engineering /Technology (M.E./M.Tech.) and M. Pharmacy courses for Economically weaker section (EWS) candidates of Madhya Pradesh.

Other Abbreviations Used In This Rule Book Are:-

(i) "CTE" means commissioner Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal;

(ii) "RGPV" means Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishvavidhyalaya, Madhya Pradesh, Bhopal;

IQAC
INDORE INSTITUTE OF PHARMACY
INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

(iii) "GATE" means Graduate Aptitute Test in Engineering Organised by Indian Institutes of Technology (IITs);), Indian Institutes of Science Bangalore (IISc);

(iv) "GPAT" Graduate Pharmacy Aptitude Test Organised by National Testing Agency (NTA);

2.3. Applicability:

These rules shall be applicable to private unaided professional educational institutions, which are conducting **M.E./M.Tech.** courses as approved by the AICTE and **M.Pharm.** courses as approved by the PCI.

2.4 Admission rules:–

In all professional institutions the procedure for admission shall be as under-

2.4.1 Availability of seats –

Approved intake capacity available in various technical/professional educational institutions shall be available on the website (https//dte.mponline.gov.in.) of the Competent Authority conducting counselling.

Note:

(1) Approved intake capacity available in various professional educational institutions shall be available on the website (**https//dte.mponline.gov.in.**) of the Competent Authority conducting counselling.

(2) As per AICTE / PCI calendar If permission is granted to any new institution or the number of seats in any existing institution are varied the same may be incorporated in counselling of that year, provided that the institution gets the affiliation from the respective University and have a permission from the State Government.

(3) If extention of approval by AICTE/PCI and affiliation by concerned university is not provided to the existing institution / course then such institution will not be included in the counselling.

INDORE INSTITUTE OF PHARMACY IQAC INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

2.4.2 Allocation/ Reservation of seats –

In every institution 16%, 20% and 14 % seats of sanctioned intake shall be reserved for the candidates belonging to SC, ST and OBC (excluding creamy layer) categories respectively as notified by the state government in this regard.

2.4.2.1 Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) Category of Madhya Pradesh:

A candidate claiming to be either of SC or ST category of MP shall have to produce a certificate from the competent authority declared for this purpose in **Proforma-1 (annexure – 1)** as given in this rule book.(Vide MP Government GAD order No. F.7-2/96 आ.प्र./1. भोपाल. दिनांक 01-08-1996 *and as per latest order issued by the Govt. of M.P. in this regard.*

2.4.2.2 OBC category of Madhya Pradesh

A candidate claiming reservation under OBC (excluding creamy layer) category shall have to produce a certificate at the time of verification of documents issued by the competent authority in **Proforma-2 (annexure – 2)** as given in the rule book. (Vide MP Government GAD order No. F/7-2/96 आ.प्र. /1. भोपाल. दिनांक 12.03.1997 and order no. ,F-7-2/96 आ.प्र. /1. भोपाल. दिनांक 06.07.2000 and as per latest order issued by the Govt. of M.P. regarding creamy layer. The candidate should also bring an income certificate at the time of verification of documents regarding his/her family's income from the Competent Authority or self declearation reagarding income as prescribed by GAD, Government of M.P. by his circular no. सी–3–7–2013–3–एक. दिनांक 25/09/2014 **(Proforma-10) (annexure – 3)**, and stating that his/her parents do not come under creamy layer if OBC certificate is issued before **30th April, 2019.**

2.4.2.3 Reservation for Economical weaker section (EWS) candidates of Madhya Pradesh:-

As per the Government of Madhya Pradesh GAD Letter No. एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, Dated 02 july 2019. Ten Percent (10 %) Seats of approved intake will be available for admission in Masters of

IQAC
INDORE INSTITUTE OF PHARMACY INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

Engineering /Technology (M.E./M.Tech.) and M. Pharmacy courses for Economically weaker section (EWS) candidates of Madhya Pradesh. These seats will be available for Madhya Pradesh domicile candidate whose family annual income from all sources should not be more than ₹ 8.00 Lac (Rupees Eight Lac Only).

A candidate claiming for Economical weaker section (EWS) Seat shall have to produce a certificate from the competent authority in **Proforma-11** **(Annexure-6)** as given in this rule book. As per the Government of Madhya Pradesh GAD Letter No. एफ-07-11/ 2019/आ.प्र./एक भोपाल, Dated 02 july 2019 and latest order issued by the Govt. of M.P. regarding Economical weaker section (EWS).

2.5 Eligibility for admission –

2.5.1 The Candidates should be an Indian National.

2.5.2 Educational Qualifications:

M.E./M.Tech.:-

A candidate seeking admission to M.E./M.Tech. Courses should be a Graduate in Relavent field of Engg./Technology with at least 50% marks, 45% marks in case of Candidates belonging to SC/ST/OBC (excluding creamy layer) categories of Madhya Pradesh. Bachelors degree be of minimum of four years duration should have been obtained from any AICTE approved institution or Indian University or from a foreign University recognised by Association of Indian Universities (AIU) or institute recognized by the AIU or any Institutes of national importance (i.e. IITs/IISc/ NITs etc.), duly recognized by the MHRD, as equivalent thereto.

M.Pharmacy:

As per the Pharmacy council of India (PCI), Minimum qualification for admission to M.Pharm programme is:

B.Pharm degree examination of an Indian University established by law in India from an institution approved by Pharmacy Council of India and has scored not less than 55% of the maximum marks (aggregate of four years of B.Pharm).

IQAC
INDORE INSTITUTE OF PHARMACY
INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

For SC/ST candidates the prescribed percentage of marks will be 50% of the maximum marks (aggregate of four years of B.Pharm).

Every student, selected for admission to postgraduate pharmacy course in any of the pharmacy institution in the country should have obtained Registration with the state Pharmacy council or should obtain the same within one month from the date of his admission, failing which the admission of the candidate shall be cancelled.

(It is the sole responsibility of the Director/principal of institute to ensure the compliance of PCI notification 12 march 2020 for admission in M. Pham course.)

NOTE:-

(i) For candidates having not less than 5 years professional experience, after passing B.Pharm course, there shall be a relaxation in pass percentage from 55% to 50% for admission to M. Pharm programme.

(ii) List of M.E./M.Tech courses in which MCA or M.Sc. qualified candidates are eligible for admission is given in **Table-1**. These Candidates must secure at least 50% marks in aggregate in the qualifying examination. Candidate belonging to SC/ST/OBC (excluding creamy layer) categories of Madhya Pradesh with at least 45% marks.

(iii) Candidates in the Final year of above degree examinations can also apply on provisional basis. But at the time of counseling, such candidates shall have to produce the original certificate of having passed/mark sheet (Showing aggregate marks) of the degree program.

(iv) List of UG Courses eligible for M.E./M.Tech courses will be available on the counseling Website.

(vi) Rounding of marks or percentage is not permissible.

INDORE INSTITUTE OF PHARMACY IQAC INDORE

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

For M.Pharm

Allocation/ Reservation of seats

In every institution 16%, 20% and 14% seats of sanctioned intake shall be reserved for the candidates belonging to SC, ST and OBC (excluding creamy layer) categories respectively as notified by the state government in this regard.

Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) Category of Madhya Pradesh: A candidate claiming to be either of SC or ST category of MP shall have to produce a certificate from the competent authority declared for this purpose in Proforma-1 as given in this rule book.(Vide MP Government GAD order No. F.7-2/96, dated 01-08-1996 and as per latest order issued by the Govt. of M.P. in this regard.

OBC category of Madhya Pradesh

A candidate claiming reservation under OBC (excluding creamy layer) category shall have to produce a certificate issued by the competent authority in Proforma-2 as given in the rule book.(Vide MP Government GAD order No. F/7-2/96, 12-03-1997 and order no. ,F-7-2/96 . *and as per latest order issued by the Govt. of M.P. regarding creamy layer. The candidate should also bring an income certificate regarding his/her family's income from the Competent Authority and stating that his/her parents do not come under* creamy layer if OBC certificate is issued before 30th April, 2011.

INDORE INSTITUTE OF PHARMACY IQAC

Principal
Indore Institute of Pharmacy,
INDORE (M.P.)

TABLE -3

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH

TENTATIVE SEATS IN M. PHARMACY. COURSE FOR THE SESSION 2022-23

S.No.	Institute Name	Branch	Intake
Government Aided			
1	SHRI G S INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE INDORE (MP)	Industrial pharmacy	15
		Pharmaceutical Chemistry	15
University Owned			
1	SCHOOL OF PHARMACEUTICAL SCINCES, RAJEEV GANDHI PRODYUOGIKI VISHWAVIDYALAYA, BHOPAL	Pharmaceutical Chemistry	10
		Pharmaceutical Quality Assurance	10
		Pharmaceutics	10
Private			
1	Acropolis Institute of Pharmaceutical Education and Research, Indore	Pharmaceutics	15
2	Adina Institute of Pharmaceutical Science (AIPS) , Sagar	Pharmaceutics	15
		Pharmacology	15
3	Bhagyoday Tirth Pharmacy College, Sagar	Pharmaceutics	12
4	Bhopal Institute of Technology & Science - Pharmacy Bangrasiya, Bhopal	Pharmaceutics	15
5	BM College of Pharmaceutical Education and Research, Indore	Pharmaceutics	15
6	Daksh Institute of Pharmaceutical Science, Chhatarpur	Pharmaceutics	15
		Pharmacology	15
7	Dr. Shri RMS Institute of Science and Technology, College of Pharmacy, Mandsaur	Pharmaceutical Chemistry	12
		Pharmaceutics	9
8	Globus College of Pharmacy, Bhopal	Pharmaceutics	15
9	GRY Institute of Pharmacy (Borawan), Khargone	Pharmaceutical Chemistry	15
		Pharmaceutics	15
10	Guru Ramdas Khalsa Institute of Science & Technology, Jabalpur	Pharmaceutics	12
		Pharmacology	12
11	Gurukul Institute of Pharmaceutical Science & Research, Gwalior	Pharmaceutics	15
		Pharmacology	15
12	Indore Institute of Pharmacy, Indore	Pharmaceutical Quality Assurance	15
		Pharmaceutics	15
13	Institute of Professional Studies - College of Pharmacy, Gwalior	Pharmaceutics	15
		Pharmacology	15
14	IPS Academy, College of Pharmacy, Indore (MP)	Pharmaceutical Quality Assurance	15
		Pharmaceutics	15
		Pharmacology	15
15	Lakhsmi Narain College of Pharmacy (RCP), Indore	Pharmaceutics	15

INDORE INSTITUTE OF PHARMACY IQAC

Principal
Indore Institute of Pharmacy